<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या- 192/2020/2280/41-2020-103 (बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2020

<u>संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त</u>, <u>2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद प्रतापगढ के ग्राम सर्वजीतपुर में दुर्गा मंदिर स्थल के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत **शासनादेश संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त**, **2020** के संदर्भ में महानिदेशक**,** पर्यटन के पत्रांक- 1764/6-1-1(976)/2018 दिनांक 14-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ** अंकित किया गया है**,** जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज** अंकित होना चाहिए था।

2. अत: **शासनादेश संख्या-152/2020/1803/41-2020-103(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त**, **2020** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **04 अगस्त**, **2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-192/2020/2280/41-2020-103(बजट)/2018</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
11- उप निदेशक, पर्यटन ,प्रयागराज मण्डल।
12- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रयागराज।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in